

माल्य सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

बनवारीवाल बनाम भूमिद्वारी तथा मीनद्वारी
मुकदमा नं. 166 सन् 2019

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
23 ⁰⁹ / ₁₉	वकील वादी श्री भजनाराम ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। फर्द मजिस्ट्रेट जिज जावे। प्रतिवादीका को तफ्ती जरिर सम्मन की जाकर फावली दिनांक 30/09/2019 को पेश हो। <i>Jr</i>	3672 23/9/19
30 ⁰⁹ / ₁₉	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर। प्रतिवादी का. 1 की तामिल सम्पत्त रूप से होकर लोटी है। वाक्फूद सम्पत्त तामिल उक्त प्रतिवादी की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अदालत में लाई जाती है। प्रकरण में कदम वकील वादी सुनी गई। वाक्फूद आदेश पत्रावली दिनांक 03/11/2019 को पेश है। <i>Jr</i>	
03 ¹⁰ / ₁₉	पत्रावली वाक्फूद आदेश अज पेश हुई। वकील वादी उपर। प्रकरण में कदम वकील वादी पूर्व में सुनी जा चुकी है वरवक्त कदम वकील वादी ने अपने वादपत्र में अंशित तथ्यों को दोहराते हुए पुनः बिने अनुलोप दावा डिग्री फरमाया जाने का निवेदन किया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध बाजार-व रेकार्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन	

तारीख हुक्म

बिना गपा एवं कहेल वकील वादी पर रजिस्ट्रार नमन
बिना गपा जिनसे वादी का वाड स्वीकार बिना गपा
योग्य पाया जाने पर स्वीकार बिना गपा धोखला की
जाती है हि :-

आदेश

विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखवाया
जाकर शामिल पत्रावली बिना गपा पत्रावली केसल
शुभाह डोकेल नमक से सफ है तथा वाड तकमील
दाखिल दफतल है। निर्णय सुले न्यायालय के
मुनाफा गपा।

Dr

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेरा (सीकर)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)

उपखण्ड अधिकारी
 श्री रणजीत सिंह RAS
 मुकाम खण्डेला
 बनावरी लान पुत्र शमसिंह वनाम 1. अधिचारी तहसील दर खण्डेला
 दावा बाबत धोखला
 मुकद्दमा नं. 166 सन 2019
 श्री रणजीत सिंह, RAS

श्री अजनाशम एस० गिनजानिब मुद्दई रुबरु
 गिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि
 ग्राम सुदागपुरा प-६० जोकुल कावास तहसील खण्डेला जिला सीकर
 स्थित अमि ख-न. 75 ता 78 रकबा प-५० ईके डे 1/6 धरिया का ख
 ग्राम रोयत प-६० रोयत तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.) स्थित
 ख-न. 64, 69 ता 72 रकबा 8.71 ईके डे 1/6 धरिया में वासी व
 बाबत

मुकद्दमें के मय सूद नशरह
 अदायगी तक का अदा करें।
 फौरान ही अदा करना आज की तारीख से
 सतत मेरे दरतखत व मुहर अदालत के आज तारीख

Jr
 3/10/19 सन को
 उपखण्ड अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)



मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

मीजान मीजान

॥ जाति दरोगा निवासी रोमल लक्ष्मी खण्डेला जिला सीकर (राज.)
- (वादी)

॥ वादी के पिता का नाम "बनवारी पुत्र मूला उर्फ भुरली" के स्थान पर
बनवारी लाल पुत्र मूलसिंह दूरस्त बिना जाता है । उक्तानुसार राजस्व
रेकॉर्ड में अमल दराज है ।



[Signature]
3.10.18
(राजजीत सिंह)

RAS

उपपरकट अधिकारी
खण्डेला (सीकर)
खण्डेला (सीकर)